प्रेषक,

जावेद एहतेशाम,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

संख्या–2269/71–3–04–के0जी0–45/2000

सेवा में,

कुल सचिव,
किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय,
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–3 लखनऊ : दिनांक 29 मार्च, 2005

विषयः–किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ मानसिक चिकित्सा विभाग में जिरियाट्रिक मेण्टल हेल्थ यूनिट में पदों के सृजन एवं उपकरणों के क्रय/साज–सज्जा हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक विश्वविद्यालय के पत्र संख्या –1356/जी0ए0 दिनांक 28–05–2004 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ में मानसिक चिकित्सा विभाग में जिरियाट्रिक मेंटल हेल्थ यूनिट की स्थापना के अंतर्गत संलग्न विवरण के अनुसार कुल 36 अस्थायी पदों को सृजित करने तथा अनावर्तक व्यय हेतु उपकरणों आदि के क्रय के लिए रू0 26,54,000/–(रुपया छब्बीस लाख चौवन हजार मात्र) की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2– उक्त पदों का सृजन, इस राजाज्ञा के निर्गमन की तिथि से अथवा उन पर नियुक्ति तिथि से, जो भी बाद में हो, दिनांक 28.02.2006 तक के लिए है, बशर्ते कि इन्हें इससे पूर्व ही बिना किसी सूचना के समाप्त न कर दिया जाय।

3– स्वीकृत पदों की भर्ती की प्रक्रिया एवं अर्हता वही होगी जो किंग जार्ज दन्त विज्ञान विश्वविद्यालय, लखनऊ के लिए निर्धारित की गयी है।

4– अनावर्तक व्यय पर स्वीकृत किए जाने वाले धनराशि रू0 26.54 लाख का व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष में किया जाना सम्भव नहीं है। अतः स्वीकृत धनराशि को कोषागार से आहरित कर वित्त अधिकारी, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ के पी.एल.ए. में रखने एवं वहां से दिनांक 30.06.2005 तक व्यय करने की अनुमति भी प्रदान की जाती है।

G

5— स्वीकृत धनराशि को कोषागार से आहरण हेतु बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0 प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

6— उक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2004—2005 मे द्वितीय अनुपूरक मांग के माध्यम से प्राविधानित अनुदान संख्या—31 के अंतर्गत लेखाशीर्षक—2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य—आयोजनागत—05—चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण तथा अनुसंधान—105—एलोपैथी-03—शिक्षा—66—किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ की स्थापना—20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामें डाला जायेगा।

7— यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या—ई—3/524/दस—2005 दिनांक 29 मार्च, 2005 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नक: यथोक्त

भवदीय

(जावेद एहतेशाम)
उपसचिव

संख्या— 2269(1)/71—3—04—तद्दिनांक—

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1. महालेखाकार, उ0 प्र0, इलाहाबाद ।
2. कोषाधिकारी, लखनऊ ।
3. वित्त अधिकारी, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ ।
4. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ ।
5. नियोजन अनुभाग—4
6. प्रभारी, जिरियाट्रिक मेन्टल हेल्थ यूनिट, मानसिक चिकित्सा विभाग, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ।
7. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग—/वित्त (वेतन आयोग)अनुभाग—1
8. सम्बंधित समीक्षा अधिकारी/गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(जावेद एहतेशाम)
उप सचिव।

शासनादेश संख्या 2269 / 71—3—06—के.जी.—45 / 2000 दिनांक 29 मार्च, 2006 का संलग्नक

क्रम सं.	पद का नाम	पदों की संख्या	वेतनमान
क	टीचिंग स्टाफ		
1.	असिस्टन्ट प्राफेसर	2	10000—325—15200
2.	लेक्चरर कम क्लीनिकल साइकालॉजिस्ट	1	8550—275—14600
3.	रिसर्च आफीसर (Non -Medical)	1	8000—275—13500
4.	जनरल ड्यूटी मेडिकल आफिसर	3	8000—275—13500
ख	ट्रेनी स्टाफ		
1.	पी.जी. डिग्री के साथ सीनियर रेजीडेन्ट तृतीय वर्ष	1	10,975 नियत
2.	पी.जी. डिग्री के साथ सीनियर रेजीडेन्ट द्वितीय वर्ष	1	10,650 नियत
3.	पी.जी. डिग्री के साथ सीनियर रेजीडेंट प्रथम वर्ष	1	10,325 नियत
4.	नान पी. जी. रेजीडेन्ट	3	9060 नियत
ग	पैरामेडिकल स्टाफ		
1.	सोसल वर्कर पु0—1, म0.—1,	2	4500—125—7000
2.	फार्मासिस्ट	1	4500—125—7000
घ	नर्सिंग स्टाफ		
1.	सिस्टर	1	5500—175—9000
2.	स्टाफ नर्स	4	5000—150—8000
ड़	क्लर्कल स्टाफ		
1.	कम्प्यूटर ऑपरेटर (ग्रेड—बी.)	1	4500—125—7000
2.	कनिष्ठ लिपिक	1	3050—75—3950—80—4590
3.	ओ.पी.डी. क्लर्क	1	3050—75—3950—80—4590.
च	चतुर्थ श्रेणी स्टाफ(यह सब संविदा पर रखे जायेंगे)		
1.	ड्राइवर	1	नियत वेतन (संविदा पर) रू0 3500/—
2.	केयर टेकर	1	नियत वेतन (संविदा पर) रू0 3200/—
3.	माली	1	नियत वेतन (संविदा पर) रू0 3200/—
4.	चपरासी	2	नियत वेतन (संविदा पर) रू0 3200/—
5.	वार्ड ब्वाय(पु0—4, म0 2)	6	नियत वेतन (संविदा पर) रू0 3200/—
6.	दाई	1	नियत वेतन (संविदा पर) रू0 3200/—
	संविदा पर सफाई कार्य हेतु रू0 25,000/— प्रति माह =		
	संविदा पर सुरक्षा कार्य हेतु रू0 15000/— प्रतिमाह 5		
		36	

3250 × 4 = 13000

(जावेद एहतशाम)
उप सचिव।